201

संख्या–245 /V–2/25(आ0)15/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 07 फरवरी, 2016**

विषय– रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि सचिवालय प्रशासन, (लेखा) मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–487, दिनांक 15.09.2015 के माध्यम से रिस्पना व बिन्दाल नदी तट पर तटबन्ध, चैकडैम व सीवरेज सिस्टम परियोजना हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में धनराशि रूपये 15.00 करोड़ का चैक संख्या–389381 दिनांक 15.09.2015 उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्गत किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर तटबन्ध, चैकडैम व सीवरेज सिस्टम परियोजना हेतु प्रेषित आंगणन रूपये 124.95 करोड़ के सापेक्ष रूपये 90.00 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में रूपये 20.00 करोड़ एवं मुख्यमंत्री राहत कोष की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 15.00 करोड़ अर्थात कुल 35.00 करोड़ की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए उक्त धनराशि को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– स्वीकृत धनराशि में सें रूपये 15.00 करोड़ की धनराशि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से वापस की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा तत्काल मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) निमोण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV –219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसके साथ ही उक्त कार्य के आगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि शासनादेश सं0–571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 के दिशा निर्देशो के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृति राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित कर लिया जायें।

5– इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति की अध्यक्षता में दिनांक 06.04.2015 एवं दिनांक 13.08.2015 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में लिए गये निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही द्वितीय किस्त हेतु Detailed Presentation मुख्य सचिव के समक्ष किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण धनराशि हेतु वैकल्पिक स्रोत पैदा करने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2015–16 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक"2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डो की सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–24–रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता पर व्यय के नाम डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–805/XXVII(2)2015 दिनांक 20.01.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– 245/V–2/25(आ0)15/2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड शासन, माजरा देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. अपर सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय प्रशा0 (लेखा) मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त एव कोषागार सेवाये, 23, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–1/ वित्त अनुभाग–2/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव